न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 14/2021

श्री उमराव जाट पुत्र गोपाल लाल जाट निवासी 120, शीतला माता के मन्दिर के पास मोरला तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 12–7–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 7–1–2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

Please provide copies of the order on behalf of that under mentioned mutations have been made.

1 Mutation number 235 dated 28 Jan 1977 (Revenue village – Morla, Tehsil – Malpura Dist. – Tonk)

2 Mutation number 236 dated 27 Jan 1977 (Revenue village – Sotwada, Tehsil – Malpura Dist. – Tonk)

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा द्वारा पत्र कमांक 90 दिनांक 22–4–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के कम में अपीलार्थी को पत्र कमांक 37/रीडर/2021 दिनांक 5.02.2021 को [illegible] कार्यालय में उपरिथत होकर नियमानुसार दस्तावेज प्रतिलिपि शुल्क जमा करा कर प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न की है। अपीलार्थी द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होकर चाही जा रही सूचना को प्राप्त करने का प्रयास किये बिना ही प्रथम अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत कर दी गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner